डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों का भारतीय कृषि में महिलाओं पर प्रभाव

पिछले 20 साल से भारत व्यापार के उदारीकरण के रास्ते पर चल रहा है, जिसने हाल के समय में तेज गति पकड़ी है। दूसरे क्षेत्रों की तुलना में भारतीय कृषि व्यापार क्षेत्र अपेक्षाकृत बचा रहा है और भारत के कुल व्यापार में कृषि एवं खाद्य वस्तुओं का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है। इनका हिस्सा कुल निर्यात में 12.15 प्रतिशत और कुल आयात में सिर्फ 3.09 प्रतिशत है (2007-08)। लेकिन, ये हालात बदलने जा रहे हैं। कृषि (खेती-बाड़ी) जैसे पारम्परिक क्षेत्रों में भी एक बड़ी हद तक उदारीकरण की संभावना है क्योंकि समय बीतने के साथ मात्रात्मक प्रतिबंध जैसे सीमा शुल्क और अन्य संरक्षणात्मक उपाय हटाए जा रहे हैं।

कृषि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर गरीब और कमजोर लोगों का महत्वपूर्ण सहारा है। महिलाएं कृषि पर विशेष रूप से निर्भर हैं क्योंकि वे अप्रशिक्षित हैं, उत्पादनशील संसाधनों तक उनकी पहुंच कम है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने को इच्छुक रहती हैं तथा कृषि सेक्टर में बहुत कम आमदनी पाती हैं। इसके बावजूद, जमीन, कर्ज, जल जैसे उत्पादनशील संसाधनों पर अभी भी उनका अधिक नियंत्रण नहीं है और फैसले लेने के उनके अधिकार भी सीमित होते हैं। ये बातें कृषि में महिलाओं की भूमिका की बारीकियां तय करती हैं (रेखाचित्र 1).

दुनिया की व्यापार व्यवस्था मानती है कि व्यापार के उदारीकरण से महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता है या यह लिंग के आधार पर कोई अलग प्रभाव नहीं डालता। लेकिन, यह साफ होता जा रहा है कि व्यापार में महिलाओं के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं होता है और कृषि व्यापार में उदारीकरण से पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक अलग तरीके के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कमजोर है, उनके अधिकार अच्छी तरह परिभाषित नहीं हैं और कोई भी कड़ी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। कृषि और खाद्य क्षेत्र में महिलाओं के एकीकरण के तरीके के मुताबिक महिलाओं पर आंशिक रूप से सामान्य[1] और आंशिक रूप से लिंग-आधारित प्रभाव पड़ते हैं।

दुनिया के नए व्यापार नियमों के पालन के लिए भारत को न सिर्फ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), बल्कि उन अनेक द्विपक्षीय (या कभी-कभी बहुपक्षीय) मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौतों (एफटीए) में तय किए गए नियमों को अपनाना पड़ेगा, जिन पर वह हस्ताक्षर कर रहा है। चूंकि मुक्त व्यापार समझौतों में आम तौर पर डब्ल्यूटीओ से भी ज्यादा प्रावधान (डब्ल्यूटीओ प्लस) शामिल किए जाते हैं और यह कृषि क्षेत्र में भी होता है, इसलिए मौजूदा व्यापार नीति इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वस्तु व्यापार के उदारीकरण एवं उससे शुल्कों पर प्रभाव और गैर-शुल्कीय बाधाओं के साथ डब्ल्यूटीओ तथा मुक्त व्यापार समझौतों की संयुक्त प्रक्रियाओं के जरिए अधिक कड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) एवं निवेश के अधिक उच्चाकांक्षी उदारीकरण का कृषि पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों के इन प्रभावों से कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं अछूती नहीं रहेंगी (रेखाचित्र 3)। यह संक्षिप्त विवरण कृषि क्षेत्र में भारत की व्यापार नीतियों के महिलाओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की एक रूपरेखा पेश करता है।

भारतीय कृषि में महिलाएं

भारत में महिलाओं पर असर के लिहाज से कृषि एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें 91,332 महिला मजदूर या सभी महिला मजदूरों का 75.38 प्रतिशत हिस्सा कार्यरत है। इसमें खेतिहर और कृषि मजदूर भी शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में फसल उगाने वाली 94 प्रतिशत महिलाएं अनाज और अन्य फसलों की पैदावार में, 1.4 प्रतिशत सब्जियों की पैदावार और बागवानी-कार्य में हैं, जबकि 3.72 प्रतिशत महिलाएं फलों, काष्ठफलों, पेय पदार्थों और मसाले की फसलों में कार्यरत हैं।

श्रम-केंद्रित गतिविधियों, जैसे- चाय (47.08 प्रतिशत), कपास (46.84 प्रतिशत), तिलहन (45.43 प्रतिशत) और सब्जियां (39.13 प्रतिशत) उगाने में महिलाओं की भागीदारी दर (सभी मजदूरों में प्रतिशत) ऊंची है। अनाज उत्पादन और गन्ना एवं चुकंदर में भी महिलाओं का हिस्सा ऊंचा है। कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में भी महिलाएं प्रमुख रुप से जुटी हुई हैं, उदाहरण के लिए, पशुपालन (कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत कुल महिलाओं में 7.03 प्रतिशत हिस्सा और केवल कृषि से जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत कुल

[1]उदाहरण के लिए, जिस तरह अति-गरीब किसान प्रभावित होते हैं, उसी तरह गरीब ग्रामीण महिलाओं पर आंशिक प्रभाव पड़ सकता है।

रेखाचित्र 1: कृषि सेक्टर में जेंडर समानता (स्त्री-पुरुष समानता) के निर्धारक कारक

महिलाओं में 71.08 प्रतिशत हिस्सा), रोपण और मत्स्य पालन।

कृषि सेक्टर में कम निपुणता की जरूरत होती है और घरेलू काम के साथ इसे आसानी से किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं के लिए यह आसान मुख्य सहारा है। इसके बावजूद, महिलाओं को बीजे बोने, पौधे रोपने, खरपतवार निकालने और फसल की कटाई जैसी मामूली नौकरियों के दायरे तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कम आमदनी होती है। भारत में पुरुषों की मजदूरी की तुलना में महिलाएं सिर्फ 70 प्रतिशत मजदूरी पाती हैं, पर परिवार में वे अवैतनिक मजदूर के रूप में भी काम करती हैं। खेती का काम करने वाली लगभग 52-75 प्रतिशत महिलाएं अनपढ़ होती हैं। इसका मतलब है कि खेती के बजाए वे औपचारिक सेक्टर, जैसे- सर्विस सेक्टर की निपुणता वाली नौकरियां आसानी से पाने में कम सक्षम हैं। इस प्रकार, वे अपना गुजारा चलाने की खातिर मजदूर या किसान के रूप में कृषि और उसके स्थायी विकास पर आश्रित हो जाती हैं।

जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के बंटवारे में भी महिलाओं को कम हिस्सा दिया जाता है। महिलाओं को शायद ही कभी सीधे उनके नाम पर या कभी-कभी खुद मालकिन होने के बावजूद जमीन पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। फैसले लेना, फसलों के पैटर्न, जमीन की बिक्री, उसे गिरवी रखना और उसकी खरीद या उत्पादन के तौर तरीके तय करना पुरुषों के हाथ में रहता है। कर्ज एवं तकनीकी निपुणताओ जैसे अन्य वित्तीय संसाधन तक उनकी सीमित पहुंच भी इस गहरी खाई को चौड़ी कर देती है और प्रतिस्पर्धा के हालात महिलाओं को अधिक कमजोर बनाते हैं।

डब्ल्यूटीओ, कृषि पर समझौता और भारत में महिला-पुरुष समानता से जुड़े मसले

वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार के उदारीकरण में 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक नए मंच के रूप में उभरा था। यह कृषि पर समझौते (एओए) के जरिए व्यापार के संरक्षण में कमी लाने के लिए नियम-कायदे बनाकर व्यापार के उदारीकरण की व्यवस्था करता है। वर्तमान में यह समझौता रुक गया है, पर निकट भविष्य में इस पर कभी भी विश्व बैंक की मुहर लग सकती है। तब, इसके सदस्य देशों को अपने वायदे के मुताबिक संरक्षण में कटौतियों पर पूरी तरह अमल करना होगा।

कृषि पर समझौते (एओए) में कृषि उत्पादों के व्यापार के उदारीकरण के तीन आधार स्तंभ- बाजार तक पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा शामिल किए गए हैं। बाजार तक पहुंच के एक अंग के रूप मे सदस्य देशों ने बाउंड यानी आबद्ध (अधिकतम) दरों से साजोसामान की मुक्त आवाजाही की इजाजत देने के लिए शुल्कों में कटौती के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। इसके अलावा, कोटा (जैसे- एक निर्धारित मात्रा तक) के तहत आयात में शुल्कों की कुछ सीमाएं लगाने का उपयोग किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर आम तौर पर मात्राओं या व्यापार के परिमाण (वोल्यूम) के बारे में पाबंदियों पर रोक लगाई गई है। अन्य दो आधार स्तंभों के तहत किसानों या निर्यात के लिए सरकारी सब्सिडी में कमी लानी होती है। इस सब्सिडी को व्यापार का एक कुरुप चेहरा माना गया है। कृषि पर समझौते से भारतीय कृषि पर अनेक दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।

शुल्कीय रक्षा में नुकसान

आबद्ध दरों से शुल्कों में कटौती का मतलब यह है कि कृषि के संरक्षण, खासकर विकासशील देशों में छोटे किसानों एवं कृषि मजदूरों के लिहाज से लचीलेपन में नुकसान होगा। डब्ल्यूटीओ के मानकों के पालन के लिए भारत अपने व्यावहारिक शुल्क[2] घटाता गया है और इससे संरक्षण के स्तर में कमी होने से उसके किसानों के सामने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का खतरा पैदा हो गया है। इसके बावजूद, भारत के पास शुल्कों में वृद्धि की गुंजाइश बची हुई है क्योंकि उसके आबद्ध स्तर औसतन 114.2 प्रतिशत जितने ऊंचे हैं, जबकि औसत व्यावहारिक दर 32.2 प्रतिशत है (रेखाचित्र. 2)। डब्ल्यूटीओ के बाद आबद्ध शुल्कों में अंतिम कटौतियों के बावजूद वे व्यावहारिक दरों से ऊंची हैं।

रेखाचित्र. 2: कृषि उत्पादों में भारत के आबद्ध और व्यावहारिक शुल्क (%)

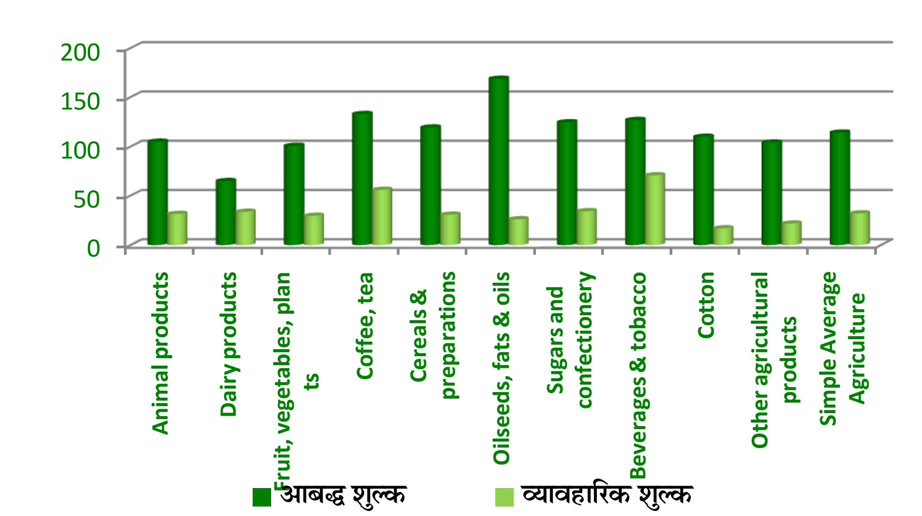

सब्सिडियां

सैद्धांतिक रूप से कृषि पर समझौते से विकासशील देशों और भारतीय कृषि, उसके किसानों एवं इसी प्रकार महिला किसानों एवं श्रमिकों को फायदे मिलने चाहिए थे। लेकिन, विकसित देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने ग्रीन बॉक्स (डब्ल्यूटीओ के तहत इजाजत दी गई है) के जरिए अपने कृषि सेक्टरों को भारी सब्सिडी देना जारी रखा है। हालांकि कुछ हद तक निर्यात पर सब्सिडी को काबू में रखा गया, फिर भी घरेलू सब्सिडी क्रमिक रूप से जारी है। इसका नतीजा दामों में गिरावट, अति-उत्पादन और वैश्विक बाजारों में विकसित देश के कृषि उत्पादों की डम्पिंग के रूप में सामने आया है। इस प्रकार, भारतीय उत्पादकों को बाजार में उनका वैध हिस्सा देने से रोका गया है। इस प्रकार, विकासशील देशों के बाजारों में सेंध लगा दी गई, जबकि अन्य दो आधार स्तंभों, खासकर विकसित देशों में घरेलू सहायता के मामले में नाममात्र की उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

गैर-शुल्कीय बाधाएं (एनटीबी) और व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी)

सब्सिडी के अलावा, विकसित देशों में कृषि उत्पादों के लिए ऊंचे मानक, जैसे- स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय (फाइटो सेनेटरी मेजर्स, संक्षेप में एसपीएसएम) व्यापार में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं। डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित की गई मानक जरूरतें कम होने के बजाए बढ़ती गई हैं। इनके पालन के लिए न सिर्फ उच्च क्वालिटी मानक, इसी बल्कि जटिल एवं विशिष्ट लैब टेस्टिंग तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से गुजरना जरूरी है। प्रकार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं ने लेबलिंग जैसी जटिल जरूरतों से भारतीय किसानों एवं निर्यातकों के सामने कठिनाइयां खड़ी की हैं। इस प्रकार की लैब, क्वालिटी निगरानी, एवं प्रमाणीकरण के साधनों की कमी और मानकों की पूर्ति के लिए ऊंची लागत के मद्देनजर महिलाओं एवं छोटे किसानों द्वारा इन नियमों का पालन लगभग अकल्पनीय है।

विकास संबंधी छूटें और जेंडर संबंधी मसले

दोहा विकास एजेंडे (डीडीए) के तहत विकासशील देशों को विकास के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट एवं विभेदक व्यवहार (एस एंड डीटी) के रूप में विशेष छूटें दी गई हैं। विशिष्ट सुरक्षा उपाय मैकेनिज्म (जो आयात बढ़ने या आयात में अचानक वृद्धि से देशों को रक्षा की इजाजत देता है) और विशिष्ट उत्पाद (जिसमें खाद्य एवं आजीविका रक्षा एवं ग्राामीण विकास के आधार पर उदारीकरण से कुछ उत्पादों की छूट है) ऐसे तौर तरीके हैं, जिन पर डब्ल्यूटीओ वार्ता में बहस चल रही है। पर, विश्व भर में जेंडर कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने जेंडर के संदर्भ में उसके प्रावधानों में जेंडर-केंद्रित रक्षा मैकेनिजम्स शामिल करने की मांग की है। कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख सुझाव 'विशिष्ट उत्पादों' की परिभाषा में वे उत्पाद शामिल करना है, जिनके साथ महिला श्रमिकों का एक ऊंचा अनुपात जुड़ा हुआ है। 'विशिष्ट सुरक्षा मैकेनिज्म' (एसएसएम) पर भी भी बहुत बहस हो रही है, पर आयात बढ़ने पर विकासशील देशों के छोटे किसानों को छूट दी जाएगी। यद्यपि इसका जेंडर से विशेष संबंध नहीं है, पर इससे

---

[2] इसमें मौजूदा लागू शुल्क दरें दर्शाई जाती हैं। किसी देश की जरूरतों के मुताबिक इसमें बदलाव किया जा सकता है। सर्वाधिक पसंदीदा देश (एमएफएन) के अनुच्छेद के अनुसार यह दर डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य-देशों पर लागू होती है।

रेखाचित्र 3: व्यापार के उदारीकरण की रूपरेखा और महिलाओं के लिए रक्षा

महिला किसानों को कुछ रक्षा मिल सकती है क्योंकि इनमें से कई उत्पाद छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। दरअसल, इन तौर तरीकों पर विकसित देशों की पाबंदियां लगाने से उनका इस्तेमाल संभव नहीं रह गया है।

महिला किसानों की रक्षा का तीसरा रूप कम आय या संसाधनों के अभाव से ग्रस्त किसानों को सब्सिडी का इनपुट देना हो सकता है। इसमें बिजली और खाद जैसे इनपुट शामिल किए जा सकते हैं। इनपुट सब्सिडी के अलावा, विकासशील देशों की सरकारें विस्तार सेवाओं, निरीक्षण, मार्केटिंग और प्रोत्साहन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सब्सिडियां महिला किसानों तक पारम्परिक असमान पहुंच में संतुलन बनाने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन, भारत में इस तरह की सब्सिडियों के इस्तेमाल में लगातार कमी आती गई है।

वैश्विक बाजार, उतार-चढ़ाव, आजीविका और खाद्य सुरक्षा

कृषि पर समझौते के पालन के सिलसिले में उदारीकरण के प्रयासों से भारतीय किसानों के सामने वैश्विक बाजारों का जोखिम खड़ा हुआ है। चिंताजनक पहलू यह है कि पिछले कई सालों से दुनिया के खाद्य बाजार में आम तौर पर कीमतों के उतार-चढ़ाव की तुलना में कहीं अधिक उतार-चढ़ाव हो रहा है। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान पहुंचा है। इसका आंशिक कारण प्राकृतिक है, जिससे सप्लाई में कमी आ रही है। लेकिन, जिन्स कारोबार में सट्टेबाजी और चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में वैश्विक खाद्य व्यापार के केंद्रीकरण के चलते यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ी है। खाद्य पदार्थों के दामों में भारी उतार-चढ़ाव का विकासशील देशों के बाजारों में संचारण के अलावा महंगी नकदी फसलों की ओर मुड़ने से भारत में खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हुआ है। बढ़ते कष्टों की स्थिति में महिलाओं पर खाद्य पदार्थ प्रदान करने और आय में पूरक बनने का दबाव बढ़ा है। कई कारणों से गैर-खाद्य पदार्थों की श्रेणी में अक्सर लाभ नहीं मिल पाए। बीज की घटिया क्वालिटी से फसलें खराब हो गईं। इनपुट्स की पर्याप्त और समय पर सप्लाई न होने से भी घाटे की स्थिति रही, जिसमें पानी, मार्केटिंग सुविधाएं एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी शामिल हैं। इन सभी ने किसानों की दरिद्रता बढ़ाई, जो किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के रूप में सामने आईं और उसका खामियाजा अक्सर महिलाओं को भुगतना पड़ता है।

मुक्त व्यापार समझौते और भारतीय कृषि में महिलाओं पर असर

भारत द्विपक्षीय या बहुपक्षीय (क्षेत्रीय) मुक्त व्यापार समझौतों के साथ अधिकाधिक रूप से जुड़ता गया है, इन समझौतों के तहत साझेदारों को शुल्क देने एवं लेने तथा विभिन्न छूटों के प्रावधान होते हैं। इस समय, भारत विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के साथ लगभग 30 मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता कर रहा है। भारत पहले ही साफ्टा में शामिल हो चुका है और उसके आसियान, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (विभिन्न कवरेज के) हैं। हाल ही में उसने मलेशिया और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के जरिए भारत सिर्फ साजसामग्री (कॉमोडिटीज यानी जिन्स) से डब्ल्यूटीओ प्लस सेवाओं के उदारीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश,

सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति की ओर बढ़ रहा है। भारत यूरोपियन यूनियन (ईयू) और ईएफटीए जैसे अन्य विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में वार्ता कर रहा है, जबकि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संभवतः अमेरिका के साथ समझौते विचाराधीन हैं ।

डब्ल्यूटीओ से मुक्त व्यापार समझौते कैसे भिन्न हैं?

व्यापकता एवं गहनता दोनों के लिहाज से डब्ल्यूटीओ की रूपरेखा और मुक्त व्यापार समझौतों के कवर के बीच बुनियादी फर्क हैं। मुक्त व्यापार समझौते अक्सर डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धताओं के दायरे से बाहर जाते हैं, इसलिए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का कृषि में महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके प्रमाण अभी भी सीमित है क्योंकि सरकार या सीओएस द्वारा श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसे पहले के समझौतों के महिलाओं (जेंडर) पर प्रभाव के बारे में कोई आकलन नहीं किया गया। इसके बावजूद, कटौतियां अभी भी की जा सकती हैं और तालिका-1 में कृषि व्यापार एवं उत्पादन से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की सूची दी गई है। इस तालिका में डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों की तुलना की गई है और उसके महिलाओं पर प्रभाव दर्शाए गए हैं।

वास्तविक रक्षा को पूरी हानि पहुंचाए बिना व्यावहारिक शुल्कों में कटौती की जाए

इसका कारण यह है कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत भारत द्वारा 3-10 साल की अवधि तक अपने न्यूनतम 85-90 प्रतिशत उत्पादों पर शून्य (जीरो) या लगभग शून्य के बराबर व्यावहारिक शुल्क तय करना जरूरी होगा। डब्ल्यूटीओ की तुलना में यह प्रमुख भिन्नता है, जिसमें अधिकतम शुल्कों की प्रतिबद्धता (रेखाचित्र 2) होती है। विकसित देशों की तुलना में भारत के शुल्क आम तौर पर ऊंचे हैं, इसलिए किसान अनुपात में ज्यादा गंवाते हैं। कृषि के भीतर वस्तु विशेष का प्रभाव साझेदार देशों के बीच व्यापार पैटर्न और सूचियों[3] को संवेदनशील या नकारात्मक तरीके से बनाने पर निर्भर करेगा। भारत की कोई जेंडर-संवेदनशील उत्पाद सूची नहीं है, इसलिए इस संवेदनशील सूची में महिलाओं की अधिक संख्या स्थान प्राप्त नहीं कर सकती है। अपने अधिकतर मुक्त व्यापार समझौतों में भारत के व्यापार घाटे में रहने की उम्मीद है और किसानों एवं श्रमिकों की आजीविका का नुकसान होगा।

निर्यात पर पाबंदियां

यदि भारत ईयू के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो उसे प्राकृतिक संसाधनों पर लगी पाबंदिया पूरी तरह हटानी पड़ सकती है क्योंकि ईयू अपने मुक्त व्यापार समझौते के साझेदारों का कच्चा माल पाने के बारे में निर्यात पर जीरो टैक्स की मांग रखता है। अधिक व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्यात पाबंदियां हटाने (जैसे- लकड़ी सहित वन उत्पाद) से महिलाओं की उन तक पहुंच स्पष्टतः खतरे में पड़ जाएगी। महिलाएं इन संसाधनों का बहुत उपयोग करती हैं और उनकी रक्षक भी हैं।

विकसित देशों में कृषि पर अधिक सब्सिडी

यह तथ्य मुक्त व्यापार समझौते के तहत कृषि व्यापार में गैर-बराबरी दर्शाता है क्योंकि सिर्फ डब्ल्यूटीओ के तहत इन पर वार्ता की जा सकती है। इस प्रकार कीसब्सिडियां अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं और उससे भारतीय किसानों को नुकसान जारी रहेगा। नाफ्टा के बाद अमेरिकी मक्का और फलियों को सब्सिडी की वजह से मैक्सिको की कृषि, खासकर महिला किसानों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े थे। को सब्सिडी की वजह से मैक्सिको की कृषि, खासकर महिला किसानों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े थे।

गैर-शुल्कीय बाधाएं

जैसाकि पहले कहा गया, दोनों पक्षों की ओर से गैर-शुल्कीय बाधाओं में कमी के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, इसलिए भारत में छोटे किसानों की समस्याएं जारी हैं। मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आम तौर पर डब्ल्यूटीओ के मानक स्तरों पर अमल किया जाता है और बहुत कम मुक्त व्यापार समझौते ऐसे हैं, जिनमें गैर-शुल्कीय बाधाओं में वास्तविक कमी लाई गई है और हद से हद सिर्फ प्रक्रिया आसान बनाई गई होगी।

विशिष्ट उत्पाद और विशिष्ट सुरक्षा मैकेनिज्म

उत्तर-दक्षिण मुक्त व्यापार समझौतों के तहत इन पर अक्सर अधिक पाबंदियां लगाई जाती हैं और विकासशील देशों में महिलाओं को ठोस सुरक्षा नहीं दी जाती। इस बीच, भारत में एसपी के जेंडर-संवेदनशीलता संबंधी मापदंडों को भारत में मान्यता नहीं दी गई है।

मुक्त व्यापार समझौतों में गैर-सामग्रियों केव्यापार से जुड़े मसले और कृषि में महिलाओं पर दूरगामी प्रभाव*निवेश, संसाधन, टेक्नोलॉजी और जेंडर की भूमिका*

भारत के सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के अलावा ईयू, ईएफटीए, न्यूजीलैंड एवं आस्ट्रेलिया के साथ भावी समझौतों में निवेश संबंधी अध्याय हैं। कृषि संबंधी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मुक्त पहुंच की अभी भी इजाजत नहीं दी गई है, फिर भी निवेश और उसके इजाजत-प्राप्त दायरे की परिभाषा लगातार व्यापक होती

[3] वे उन उत्पादों की सूची है, जिन्हें शुल्कों में कटौतियों के बाहर रखा गया है या छोटी कटौतियां करनी होंगी और/ या अधिक लंबे समय तक इजाजत दी गई है।

तालिका 1: डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि से जुड़ी समस्याएं और महिलाओं (जेंडर) पर दूरगामी प्रभाव

क्षेत्र/ प्रावधान	डब्ल्यूटीओ (एओए, ट्रिप्स, अन्य)	मुक्त व्यापार समझौते	महिलाओं पर दूरगामी प्रभाव
सिद्धांत	विकास संबंधी छूटें		अक्सर प्रतिकूल प्रभाव क्योंकि छूटों की इजाजत नहीं दी जाती हैं
शुल्क	आबद्ध दरों से, लचीलेपन में नुकसान	वास्तविक व्यावहारिक दरें, पूरी रक्षा गंवाना	दोनों के तहत विकासशील शहर ज्यादा गंवाते हैं मुक्त व्यापार समझौते : सभी समूहों के लिए वास्तविक प्रतिस्पर्धा : छोटे उत्पादकों को नुकसान होते हैं
विकसित देशों में कृषि संबंधी सब्सिडियां	वार्ता की जा रही है	कोई वार्ता नहीं	महिलाओं सहित सभी किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं
एनटीबी, मानक, टीबीटी	समझौता	डब्ल्यूटीओ के स्तरों की अभिपुष्टि	इन्हें पूरा करने में महिलाओं को अधिक कठिनाई होती है
विशिष्ट उत्पाद	इजाजत दी गई, वार्ता जारी	अक्सर सीमित या कुछ मुक्त व्यापार समझौतों के तहत इजाजत नहीं	यदि इजाजत गई तो विशिष्ट उत्पाद का जेंडर-संवेदनशीलता की रक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है
विशिष्ट सुरक्षा मैकेनिज्म	इजाजत दी गई, वार्ता जारी	अक्सर सीमित	यदि इजाजत दी गई तो महिला किसानों सहित छोटे किसानों की रक्षा की जा सकती है
श्रमिक मापदंड	बाहर	अंदर	महिला श्रमिकों के लिए अच्छा हो सकता है, पर विवादास्पद, कृषि के लिए कम महत्वपूर्ण
सिंगापुर के मसले : निवेश (विकासशील देशों के लिए संवेदनशील)	बाहर	अंदर	प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, वन उत्पादों तक पहुंच महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण
			श्रम बचत वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी महिला श्रमिकों को प्रभावित करता है
सिंगापुर के मसले : सार्वजनिक खरीद (विकासशील देशों के लिए संवेदनशील)	बाहर	अंदर	उदाहरण : वरीयता के आधार पर महिलाओं / छोटे किसानों से खरीद नहीं सकते, जैसे-पीडीएसः
बौद्धिक संपदा	हां	ट्रिप्स	बीज, ज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पर अधिक नियंत्रण

गई है। अधिकतर उत्तर-दक्षिण मुक्त व्यापार समझौतों मे एक पूरा अध्याय शामिल किया गया है और यदि विदेशी निवेशकों को कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी जमीन के अधिग्रहण की इजाजत दी गई तो जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों तक महिलाओं की सीमित पहुंच और कम हो सकती है। इससे उन वन उत्पादों, पानी, पारम्परिक पौधों, बीजों एवं भरण-पोषण के अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो उनके और उनके परिवारजनों के भरण-पोषण के लिए जरूरी हैं।

इसके विपरीत, बढ़ते मशीनीकरण, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित ऊर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से अनेक महिला किसानों (जमीन, टेक्नोलॉजी एवं पूंजी तक कम पहुंच प्रदान की जाती है) की स्थिति कमजोर बन जाएगी। मशीनीकरण से महिला श्रमिकों को फसल पैदावार और कटाई जैसी प्रक्रिया में भी हाशिए पर धकेल दिया गया है। विकासशील देशों में कॉफी, इलायची और चाय जैसी नकदी फसलें श्रम-केंद्रित हैं और इन मामलों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की संभावना है। इनमें मशीनें श्रमिकों का स्थान ले लेती हैं।

कृषि, बौद्धिक संपदा और महिलाओं से जुड़ी चिंताएं

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) किसी नवप्रवर्तक के विचार या 'मस्तिष्क की उपज' पर एक निश्चित अवधि के लिए उसके एकमात्र आर्थिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नवप्रवर्तन की कोई टेक्नोलॉजी, कोई उत्पाद, कोई डिजाइन और कोई अन्य रूप हो सकता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यद्यपि यह व्यापार का कोई मसला नहीं है, फिर भी डब्ल्यूटीओ और मुक्त व्यापार समझौतों दोनों के स्तर पर वैश्विक व्यापार समझौतों में बौद्धिक संपदा अधिकारों ने

महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का पारम्परिक ज्ञान एवं दवाओं, खाद्य पदार्थों, खेती की प्रणालियों और जैव-विविधता आदि पर प्रभाव पड़ रहा है। इनका पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलाएं आर्थिक ढांचे की मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं और वे इन प्रणालियों के बाहर रहकर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि बुनियादी भरण-पोषण के लिए उत्पाद और टेक्नोलॉजी के बारे में बौद्धिक संपदा महिलाओं पर ज्यादा असर डालती है।

कृषि क्षेत्र में एक चिंताजनक पहलू बौद्धिक संपदा अधिकारों का बीजों पर प्रभाव है। 'ट्रिप्स' (बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से जुड़े पहलू) के तहत पौधों और पशुओं की रक्षा के लिए देशों को बाध्य नहीं किया जा सकता, पर वे स्वयं अपनी देसी प्रणाली द्वारा पौधों की किस्मों की रक्षा करें। इसके मुताबिक भारत ने 2001 में स्वयं अपना पौधा किस्म रक्षा अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रजनकों के विपरीत किसानों के अधिकारों को वरीयता दी गई और किसानों को स्वतंत्रापूर्वक बीज बचाने, उनके इस्तेमाल एवं आदान-प्रदान की इजाजत दी गई।

लेकिन, भारत जिन विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता कर रहा है, उदाहरणार्थ, ईयू के सदस्य देश,[4] उनकी आम तौर पर यह मांग होती है कि भारत पौधा किस्म रक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि- यूपीओवी 1991 में शामिल हो जाए। यह संधि प्रजनकों के अधिकारों को वरीयता देती है और किसानों को स्वतंत्रापूर्वक बीज बचाने, उनके इस्तेमाल एवं आदान-प्रदान से रोकती है। इस प्रकार, भारतीय किसानों द्वारा पारम्परिक तरीके अपनाने पर पाबंदी लग जाती है। यह संधि अनुसंधान में संरक्षित किस्मों का इस्तेमाल भी रोकती है। भारत और विकासशील देशों में महिलाओं ने पारम्परिक रूप से 'बीज रक्षक' की भूमिका अदा की है, लेकिन ये प्रावधान भविष्य के लिए बीज रखकर उन्हें बचाने, उनका आदान-प्रदान एवं उत्पादन की साज-संभाल में उनका सामर्थ्य कमजोर करेंगे।

उत्तर-दक्षिण मुक्त व्यापार समझौते में बौद्धिक संपदा के अन्य प्रावधान भी भारत में कृषि के तौर तरीकों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे- किसानों को नवप्रवर्तन, पारम्परिक ज्ञान एवं जैव-विविधता के लिए उन्हें मुआवजा देने के लिए लाभ साझा करने के प्रावधान, बुडापेस्ट संध के जरिए पंजीकरण के ढीले नियमों की इजाजत देना, कृषि-रसायनों के बारे में पेटेन्ट प्लस डाटा एक्सक्लुसिविटी की इजाजत देकर इनपुट की लागत बढ़ाना। इसके अलावा, मुक्त व्यापार समझौते में अक्सर पौधे की रक्षा के लिए भी पेटेन्ट की अवधि पांच साल तक बढ़ाने की शर्त शामिल की जाती है। इन उत्पादों और तौर तरीकों पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण महिलाओं को कृषि से बाहर धकेल देगा और पारम्परिक प्रणालियों पर आधारित उनके भरण-पोषण के लिए खतरा पैदा होगा। भौगोलिक संकेतक (जीआई) बौद्धिक संपदा के अन्य रूप है, जिनमें किसी क्षेत्र के उत्पादों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य क्षेत्र उनका उत्पादन एवं बिक्री नहीं कर सकते। ईयू मुक्त व्यापार समझौते में यह प्रावधान शामिल करने पर जोर दे रहा है। इससे न सिर्फ शराब एवं स्पिरिट्स जैसे उत्पादों, बल्कि मांस और डेयरी उत्पादों पर ईयू के बाजार का नियंत्रण बढ़ जाएगा।

सेवाएं और सरकारी खरीद

मुक्त व्यापार समझौते के जरिए अब खुदरा सेवाओं का उदारीकरण (सिर्फ एकपक्षीय नहीं) आ सकता है। इससे भी छोटे किसानों और महिला किसानों की आजीविका पर दबाव पड़ सकता है। बड़े सुपरमार्केट्स उच्च मानक चाहते हैं और क्वालिटी के मापदंड पूरे न होने के आधार पर उत्पाद रद्द कर देते हैं। छोटे किसानों द्वारा लगातार क्वालिटी मानक पूरा करना दिक्कतभरा हो सकता है। कभी-कभी शुरू में किसानों को ऊंचे दाम दिए जाते हैं, पर रिटेल चेन्स के बड़े खरीदारों पर बढ़ती निर्भरता के चलते दामों में गिरावट आ जाती है। इसके अलावा, रिटेल चेन्स धीरे-धीरे स्थानीय बाजारों को कमजोर कर देते हैं और इससे किसानों की इन बाजारों तक पहुंच भी कम हो जाती है। महिला किसान और श्रमिक भी अक्सर स्थानीय या आसपास के बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं और बड़ी रिटेल कंपनियों के प्रवेश से उनकी आजीविका के इस विकल्प को भी खतरा पैदा हो सकता है। विकसित देशों की केयरफोर, वालमार्ट एवं टेस्को जैसी अपनी विशालकाय रिटेल चेन्स हैं, जो छोटे विक्रेताओं को निगल जाती हैं। भारत सरकार ने थोक खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इजाजत नहीं दी है, पर मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए इसे भी खोला जा सकता है।

इसके अलावा, यदि विकसित देशों की इच्छानुसार भारत में सरकारी खरीद का उदारीकरण किया जाता है तो किसानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए विशेष मात्रा में खरीद कठिन बन जाएगी। पीडीएस व्यवस्था भारतीय किसानों को दाम संबंधी आवश्यक समर्थन प्रदान करती है और उचित दाम एवं बाजार दोनों सुनिश्चित करती है। भारत ने जापान सहित अपने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में विदेशी कंपनियों को बाजार तक पहुंच प्रदान नहीं की है, पर ईयू इस

---

[4]जापान यह प्रावधान भारत के साथ अपने सीईपीए में शामिल कराना चाहता था, पर भारत ने इसे नामंजूर कर दिया।

सेक्टर में उदारीकरण पर जोर दे रहा है। यदि इस मामले में भारत राजी हो जाता है तो इस मैकेनिज्म में विदेशी उत्पादकों के साथ समान व्यवहार करना होगा और समान पहुंच प्रदान करनी होगी।

निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट है कि बहुपक्षीय मैकेनिजम्स के जरिए कृषि में पूरा उदारीकरण करने से उन भारतीय किसानों एवं श्रमिकों की रक्षा में कमी आएगी, जिसका एक बड़ा भाग महिलाओं का है। इसके विपरीत, संवेनशील उत्पादों और एसएसएम जैसे रक्षात्मक मैकेनिजम्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। इससे महिलाओं पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे जिन संसाधनों पर निर्भर हैं, इन समझौतों के तहत उन पर खतरे की आशंका है। कृषि के अलावा अन्य कामों में लगने की उनकी सीमित क्षमता है। न सिर्फ बाजारों एवं आजीविका की हानि के जरिए खाद्य पदार्थ-प्रदाता के रूप में उनकी भूमिका बेहद कमजोर होगी, बल्कि वन उत्पादों, पानी, बाजारों एवं जमीन जैसे उन मामलों में उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो खाद्य पदार्थों तक सीधी पहुंच और सतत उत्पादन एवं बिक्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यह बेहद जरूरी है कि भारत की व्यापार नीति के नज़रिए के तहत अपने व्यापार समझौतों के सभी पहलुओं में जेंडर संबंधी संवेदनशीलता का ख्याल रखा जाए। साथ ही, उसे जेंडर-हितैषी विकास नीति के साथ जोड़ा जाए।

संदर्भ सामग्री

कोरिनेक, जेन (2005) ''ट्रेड एंड जेंडर : इश्यूज एंड इंटरएक्शंस'', ओईसीडी ट्रेड पोलिसी वर्किंग पेपर न. 24

सिंह, रूपम एंड रांझा सेनगुप्ता (2009) ''द ईयू-इंडिया एफटीए इन एग्रीकल्चर एंड लाइकली इम्पैक्ट ऑन इंडियन वुमेन'', सेंटर फोर ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड हेइनरिच बॉल फाउंडेशन, नई दिल्ली, दिसंबर, 2009, http://www.boellindia.org/web/112-535.html पर उपलब्ध।

स्पइलदोच, एलेक्जेंड्रा (2004) ''नाफ्टा थ्रू ए जेंडर लेन्स : व्हाट फ्री ट्रेड पैक्ट्स मीन फोर वुमेन'', सेंटर ऑफ कन्सर्न एंड आईजीटीएन वर्किंग पेपर।

ट्रान-न्गुेन, एएन एंड बेलिग्लिया जैम्मेटी (2004) ''ट्रेड एंड जेंडर : अपोचुनिटीज एंड चेलेंजेज फोर डेवेलपिंग कन्ट्रीज'', अंकटाड, जेनेवा।

यादव, किरन (2009) ''इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर'', http://agropedia.iitk.ac.in/?q=content/impact-wto-women-agriculture पर उपलब्ध, 15 दिसंबर, 2009 को खोजा गया।

जोरायादा गार्सिया, जेनिफर न्यबर्ग एंड श्यामा ओवैसी सादात (2006) ''एग्रीकल्चर, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड जेंडर'', एफएओ जेन्डर एंड पोपुलेशन डिवीजन, फूड एंड एग्रीकल्चर ओर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, रोम।

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

TWN
Third World Network

यह संक्षिप्त विवरण थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टी-डब्ल्य-ूएन) और हेइनरीख बौल फाउंडेशन (एचबीएफ) भारत द्वारा प्रकाशित 'व्यापार एवं महिलाओं (जेंडर) पर प्रभाव संबंधी संक्षिप्त विवरण' सीरीज का पहला भाग है। भारत और अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के उदारीकरण से महिलाओं पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों से संबंधित मसलों पर जानकारी के प्रसार एवं प्रचार के उद्देश्य के साथ यह सीरीज प्रकाशित की जाती है।

लेखकः रोन्जा सेनगुप्ता

मुद्रकः InditeGlobal, New Delhi

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : रोन्जा सेनगुप्ता, ईमेलः ranja.sengupta@gmail.com

घोषणाः इसमें प्रकाशित विश्लेषण और निष्कर्ष सिर्फ लेखक के हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के विचारों या रुख के साथ मेल खाएं। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसके लेखक, टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के प्रति समुचित आभार प्रकट करते हुए इस लेख का उद्धरण या हवाला देने का कष्ट करें।

कॉपीराइटः यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन–नॉनकामर्शियल–नोडिराव्स 3.0 लाइसेंस के तहत लाइसेंसीकृत है।

साभारः कुमार गौतम